

फा. सं. 42/8/2013- P&PW(G)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 25 अगस्त, 2015

संकल्प

इस विभाग के दिनांक 18 जुलाई, 2013 के संकल्प सं 42/08/2013-पी एंड पीडब्लू (G) के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए गठित स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (स्कोवा) के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ स्कोवा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है: -

- (क) राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) :- अध्यक्ष
(ख) सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग :- संयोजक और सदस्य सचिव
(ग) सरकारी सदस्य: -

- (I) वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
(II) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि
(III) रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि
(IV) डाक विभाग के प्रतिनिधि
(V) दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि
(VI) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

(घ) गैर सरकारी सदस्य (15)

(I) स्थायी समूह (5 संघ)

(i)	वायु सेना संघ, एयर फोर्स स्टेशन, रेस कोर्स कैंप, नई दिल्ली- 110003
(ii)	एन एफ रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, रेस्ट कैंप, पांडु, गुवहाटी- 781012, असम
(iii)	केन्द्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन (सीजीपीए), 4/159, मालवीय नगर, जयपुर 302017, राजस्थान।
(iv)	केन्द्रीय सरकार पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (सीजीपीडब्ल्यूए), सामुदायिक केंद्र सरकार, केन्द्रीय विहार लाइब्रेरी, सेक्टर 51, नोएडा- 201303
(v)	तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग, सं. 10, आर आर लेआउट, फरक्का नगर पसुमलै, मदुरै- 625004, तमिलनाडु।

(ii) चक्रीय समूह (10 संघ)

(i)	डिसेबल्ड वार वेटरन्स (भारत), बी -6/6, डीएलएफ सिटी, फेज -I, गुडगांव, हरियाणा- 122002
(ii)	आइ ए एंड आई डी सेवानिवृत्त अधिकारी संघ, मकान नं 2154, सेक्टर 38-सी, चंडीगढ़- 160038
(iii)	अखिल भारतीय केन्द्र सरकारी पेंशनभोगी संघ, ईपी -233, नया बाजार, जालंधर सिटी, पंजाब।
(iv)	कर्नाटक डाक और दूरसंचार पेंशनभोगी संघ (पं), 165, फोर्थ मेन, तीसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बनवेशवाड़ा नगर, बेंगलुरु- 560079
(v)	केन्द्र सरकारी पेंशनभोगी संघ, केरल, "पेंशन केन्द्र", पट्टरैक्कल जं, त्रिशूर-680022, केरल

(vi)	अखिल भारतीय केन्द्र सरकारी पेंशनभोगी संघ, 355, गंगा मंदिर, कटक, उड़ीसा
(vii)	केन्द्रीय निवृत्त कर्मचारी मण्डल, "शिव सुमन", मार्तण्ड परिसर कॉम्प्लेक्स (पिछला भाग) वादुवाला अस्पताल के निकट, कापड़ी पोल, वड़ोदरा - 390001, गुजरात
(viii)	केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी संघ, 40/3, भंडारी बाग, देहरादून 2480001, उत्तराखंड
(ix)	केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगी कल्याण संघ, ई -6, शिव बासव नगर, शिव मंदिर रोड, अंबरनाथ-421501, महाराष्ट्र
(x)	उत्तरपाड़ा केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी संघ, सुषमा अपार्टमेंट (भूतल), 35, द्वारिका जंगल रोड, डाकघर भद्रकाली, हुगली-712232, पश्चिम बंगाल

2. इस संकल्प के माध्यम से पुनर्गठित स्कोवा का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। स्थायी समूह के सदस्य दो वर्ष की तीन अवधि (दो साल की एक अवधि) के लिए या अध्यक्ष, स्कोवा के प्रसादपर्यंत, जो भी पहले हो तक काम करेंगे। चक्रीय समूह के सदस्य दो साल के एक कार्यकाल के लिए की सेवा करेंगे और एक और कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे।
3. स्कोवा यथावश्यक रूप से अपनी बैठकों का आयोजन करेगी। तथापि, वर्ष में कम से कम एक बार यह अपनी बैठक अवश्य आयोजित करेगी।
4. स्कोवा निम्नलिखित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी :-
 - (i) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नीतियों/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रदान करने के लिए।
 - (ii) नीतिगत पहलों पर चर्चा और उनकी समीक्षात्मक जांच; तथा
 - (iii) सरकारी कार्रवाई के पूरक स्वैच्छिक प्रयासों को एकजुट करने के लिए।
5. स्कोवा की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को दिए जाने वाला यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता समय-समय पर जारी एसआर 190 के प्रावधानों और भारत सरकार के आदेश के अनुसार देय होंगे।
6. इसके लिए किया जाने वाला व्यय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्वीकृत बजट अनुदान से किया जाएगा।

(सुजाशा चौधरी)
उपसचिव (पी)
टेली: 24635979

आदेश

आदेश दिया है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को प्रेषित कर दी जाए ।

(सुजाशा चौधरी)

उपसचिव (पी)

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय।

फरीदाबाद

प्रतिलिपि:

1. सभी सदस्य
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. प्रधानमंत्री कार्यालय
4. मंत्रिमंडल सचिवालय
5. संयुक्त सचिव (जेसीए), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
6. संयुक्त सचिव (ईV), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
7. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय।
8. संयुक्त सचिव, भूतपूर्व सैनिक एवं कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय
9. संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय।
10. कार्यकारी निदेशक (स्था), रेल मंत्रालय
11. डीडीजी (स्था), डाक विभाग।
12. डीडीजी (स्था), दूरसंचार विभाग।
13. रक्षा लेखा महानियंत्रक
14. महालेखा नियंत्रक
15. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) के निजी सचिव
2. सचिव (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) के प्रधान निजी सचिव
3. निदेशक, एनआईसी, तृतीय तल, लोकनायक भवन - इस संकल्प को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित ।